प्रकरण संख्या 64/2018 श्रीमती चन्द्रादेवी व अन्य बनाम मोहनसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.09.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद घोशणा एवं का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बालातों की गुंआर में वाद पत्र की कलम संख्या 1 की कलम संख्या ''क'', ''ख'' एवं ''ग'' की भूमियां स्थित हैं वादी मोहनसिंह प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का पड़ोसी था एवं सेना में सेवारत था। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मोहनसिंह के पास गये और कहा कि बाप–दादाओं के समय से हमारी भूमि पर आपका कब्जा चला आ रहा है, लेकिन खाता हमारे एवं हमारी माता के नाम चला आ रहा है इसलिए हम अपनी सम्पूर्ण जमीन विकय करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने बेचने का प्रस्ताव रखा, तो वादी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया एवं दिनांक 27.08.2007 को 100/– के स्टाम्प पर इकरारनामा लिख दिया तभी से वादी का उक्त भूमियों पर कब्जा चला आ रहा है। वादी सेना में सेवारत होने से अपने नाम रजिस्ट्री नहीं करा सका एवं अपनी पत्नी गट्टू देवी के नाम दिनांक 24.12.2007 एक साथ दो रजिस्ट्री प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने निश्पादित करवा दी, लेकिन वाद पत्र में अंकित भूमियों का पंजीयन कराना भोश रहा गया। अतः वादी को विवादित भूमियों का खातेदार घोशित किया जाकर स्थायी निशेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर दिनांक 23.05.2018 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिकी जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/ प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 02.11.2018 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री मदनसिंह चौहान उपस्थित हुए । रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट द्वारा देरी के कारणों को स्पश्ट करते	

हुए दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन स''ापथ प्रस्तुत किया गया, जिसमें वर्णित कारण उचित प्रतीत होने से न्यायहित में दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की गयी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपोल मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली की पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है न ही अपीलान्ट को लोक अदालत में प्रकरण रखे जाने की कोई सूचना ही दी गयी। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को बिना सुने उनकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया गया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण में पक्षकारान के सहमति की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है तथा पत्रावली तलबी में विचाराधीन थी। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना तलबी हुए पत्रावली राजस्व कैम्प में दिनांक 10.05.2018 के स्थान पर दिनांक 23.05.2018 को रखकर वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी कर दी, जो प्रथम दृश्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.11.2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर

	से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (प्रियंका जोधावत) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 64/2018 श्रीमती चन्द्रादेवी व अन्य बनाम मोहनसिंह व अन्य